बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक –के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 दिनांकः–

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०पथ सहित)
   पथ निर्माण विभाग।
2. मुख्य महाप्रबंधक,
   बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार, पटना।
3. प्रबंध निदेशक,
   बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना।
4. क्षेत्रीय पदाधिकारी,
   सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, 17, अनिकेत कॉपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी,
   आई०ए०एस० कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना–800001
5. क्षेत्रीय पदाधिकारी,
   भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल्ला, राजेश कुमार पथ,
   श्री कृष्णापुरी, पटना–800001
6. सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०पथ सहित),
   पथ निर्माण विभाग।
7. सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ सहित),
   पथ निर्माण विभाग।

विषय :– **सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति एवं लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में सड़क सुरक्षा से संबंधित पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक कार्य योजना के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः–

(1) सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति का पत्रांक–No.–12 / 2018 / CoRS दिनांक–26.12.2018 एवं No.–30 / CoRS / 2014 (Vol.4) दिनांक–12.02.2019

(2) लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का पत्रांक–स0सु0 / लीड एजेन्सी (बैठक)–20 / 2018– 236 / परिवहन दिनांक–02.05.2019।

महाशय,

निदेशानुसार सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति एवं लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा दिये गये अद्यतन दिशा–निर्देशों के आलोक में सड़क सुरक्षा के उपायों के प्रभावी करने एवं दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य योजनाओं को लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

अतएव सड़क सुरक्षा से संबंधित लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक कार्य योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाय ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,

ज्ञापांक– के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 दिनांक–

प्रतिलिपिः –(i) सचिव– सह–सदस्य सचिव, कार्यपालक समिति, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(ii) राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी, लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अनु0–यथोक्त।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,

ज्ञापांक– के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 दिनांक–

प्रतिलिपिः –माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,

ज्ञापांक– के०नि०स०–27 / प्रा०–70 / 18 4631(E) दिनांक– 20/6/19

प्रतिलिपिः –आई०टी०, प्रबंधक, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

19/6/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह विशेष सचिव,

सड़क सुरक्षा पर गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समिति एवं लीड एजेन्सी (बिहार सड़क सुरक्षा परिषद) द्वारा दिये गये अद्यतन दिशा–निर्देशों के आलोक में सड़क सुरक्षा से संबंधित पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक कार्य योजनाः–

1. लघुकालिक

(i) सभी पथ निर्माण एजेन्सी ब्लैक स्पॉट/दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के सुधार/निराकरण हेतु अविलंब लघुकालिक उपाय करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके।

(ii) सभी पथों पर Road sign and marking, Speed limit प्रदर्श, आवश्यकतानुसार Speed Breaker, Pavement markings, Delineators, Pedestrian railings, Crash barrier, Studs/Cat's eye इत्यादि का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय ताकि दुर्घटनाओं में कमी आये।

(iii) सभी पथ निर्माण एजेन्सी 5 km या इससे अधिक लंबाई वाले किसी भी नये पथ का निर्माण Design Stage Road Safety Audit करा कर ही पथ का निर्माण सुनिश्चित किया जाय एवं सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का प्राक्कलन में अनिवार्य रूप से शामिल करें।

(iv) सभी पथ निर्माण एजेन्सी पथों पर स्थित सभी तरह के Potholes को अविलंब सुधार/परिमार्जन करना सुनिश्चित करें।

2. मध्यम कालिकः–

(i) सभी पथ निर्माण एजेंसी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पथों पर महत्वपूर्ण/आवश्यक जगह जैसे, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बसावट, धार्मिक स्थल एवं जंक्शन आदि स्थलों पर सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से Indian Road Congress के मानकों के अनुरूप Traffic Calming Measures यथा road signages, speed breaker, speed humps, speed table, rumble strips, informatory sign, stop sign, zebra crossing, pedestrian refuge islands, lane narrowing इत्यादि का प्रावधान आवश्यकतनुसार करना सुनिश्चित करें ताकि दुर्घटनाएँ कम हो।

(ii) सभी पथ निर्माण एजेन्सी Intersections/Junctions के Lower Hierachy पथों पर Traffic Calming Measures संबंधी उपाय सुनिश्चित करें।

(iii) ब्लैक स्पॉट/दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निकट Curves के चौड़ीकरण का प्रावधान आवश्यकतानुसार किया जाय।

(iv) ब्लैक स्पॉट/दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निकट Horizontal एवं Vertical Geometry को विकसित किया जाय।

(v) Vulnerable Junctions, Curves & Straight road एवं संकीर्ण पुलों को Phase manner में विकसित किया जाय।

(vi) शहरी क्षेत्रों के पथों पर एवं बसावटों के निकट Street light का प्रावधान किया जाय।

(vii) सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रकार के बाधाओं (Obstructions) एवं vegetations को हटाना सुनिश्चित किया जाय।

(viii) पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं को "Road Safety Audit & Road Safety related Aspets" विषय पर प्रशिक्षित किया जाना है।

(ix) सभी पथ निर्माण एजेन्सी lane driving के Enforcement के लिये lane marking का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय ताकि सड़क दुर्घटनाओं से कमी लायी जा सके।

(x) आबादी क्षेत्रों, ढाबा इत्यादि स्थलों के निकट अनधिकृत median opening एवं अनधिकृत पड़ाव (Unauthorized Parking) को प्रशासन से सहयोग लेकर दृढ़ता से निपटा जाय ताकि इन स्थलों पर सड़क दुर्घटनाओं/मृत्यु को रोकी जा सके।

(xi) सभी शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैदलगामी (Pedestrian) के लिये जेब्रा क्रॉसिंग (Zebra Crossing) का प्रावधान आवश्यकतानुसार किया एवं जेब्रा क्रॉसिंग (Zebra Crossing) की पेन्टिंग जिन स्थलों पर मिट चुका है, वहाँ पेन्टिंग कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. <u>दीर्घकालिकः–</u>

(i) निर्माणाधीन एवं निर्मित पथों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाय तथा Auditors/Consultants के Recommendations का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ii) सभी पथों पर आवश्यकतानुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित किया जाय। साथ ही साइनेज एवं सूचना बोर्ड पर्याप्त मात्रा में प्रासंगिक स्थानों पर लगवायें जायें।

(iii) जहाँ–जहाँ आबादी का घनत्व ज्यादा है तथा अगल–बगल गाँव, स्कूल अथवा बसावटें हों एवं आम नागरिक अपनी रोजी–रोटी या जीविका के उद्देश्य से सड़क पार करते हों, वैसे स्थानों पर भविष्य में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए रैम्प के साथ फुट ओवरब्रिज (Foot Over Bridge) एवं Vehicular & People Underpass का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि इसका उपयोग सामान्यजन के साथ दिव्यांगजन भी कर सके। साथ ही साथ इस फुट–ओवरब्रिज से पशुओं को भी ले जाया जा सके।

(iv) Bypass, service road, grade-separated inter-changes तथा way-side amenities का प्रावधान आवश्यकतानुसार किया जाय।

(v) Pedestrian के लिए विशेष रूप से फुटपाथ की व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाय एवं साथ ही फुटपाथ का निर्माण रैम्प के साथ किया जाय ताकि दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग सुगमतापूर्वक किया जा सके।

(vi) पथों पर स्थित गाँवों के समीप Village gates का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय।

(vii) Vulnerable स्थलों पर Table Top Pedestrian Crossing का निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

(viii) सभी तरह के पुल–पुलियों का समय–समय पर जाँच कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाय ताकि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहें।

(ix) पथों पर स्थित Water bodies के निकट सभी तरह के Barriers का निरीक्षण किया जाय। Vulnerable स्थलों की पहचान कर इन स्थलों पर IRC के मानक के अनुरूप नये Barriers का अधिष्ठापन आवश्यकतानुसार किया जाय। साथ ही Barriers का Periodic maintenance की व्यवस्था सुनिश्चित करें।